ो क्रम सं0 तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
19/10/2020	**आदेश** प्रस्तुत आर0एम0 वाद संख्या–111 / 2018–19, आवेदक–श्री मोहन लाल भैया, पिता–स्व0 कार्तिक प्रसाद भैया, साकिम–टंडेरी, अंचल–मधुपुर, जिला–देवघर द्वारा मौजा–बिल्ली, थाना नं0–494 के मूल रैयती स्वत्व का नामांतरण हेतु समर्पित आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, मधुपुर से ज्ञापांक–1221 / डी0बी0 दिनांक–18.12.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन की मांगी की गई, जो उनके पत्रांक–381 / रा0, दिनांक–02 / 08 / 2019 के माध्यम से प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात मौजा के 16 आना रैयतों को सूचना निर्गत किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त, जो अभिलेखबद्ध है। अंचल अधिकारी, मधुपुर ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये है कि मौजा–बिल्ली, थाना नं0–494 का 1 / 4 अंश मूल रैयत के रूप में पंजी–II में दर्ज है एवं कार्तिक प्रसाद भैया उक्त मौजा के भूतपूर्व मूल रैयत थे, जिनकी मृत्यु दिनांक–26.11.2017 को हो चुकी है। आवेदक मोहन लाल भैया पूर्व मूल रैयत स्व0 कार्तिक प्रसाद भैया के बड़ा पुत्र है, जिन्होने उक्त मौजा के मूल रैयत के स्थान पर नामान्तरण करने हेतु आवेदन दिये है तथा मूल रैयती पद के दावेदार है। आवेदक की उम्र–57 वर्ष है एवं सौम्य व्यक्ति है तथा मूल रैयती चलाने योग्य है। आवेदक जमाबंदी नम्बर–13 के वंशज है। फलतः अंचल अधिकारी, मधुपुर द्वारा मौजा के सोलह आना रैयतो के अनापत्ति की स्थिति में आवेदक को उक्त मौजा के 1 / 4 आना का मूल रैयती पद पर नामान्तरण करने हेतु अग्रसारित किये है। अतः अंचल अधिकारी, मधुपुर द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं मौजा के सोलह आना रैयतो से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के आधार पर आवेदक–श्री मोहन लाल भैया, पिता–स्व0 कार्तिक प्रसाद भैया, साकिम–टंडेरी, अंचल–मधुपुर, जिला–देवघर के नाम से मौजा–बिल्ली, थाना नं0–494 का 1 / 4 आना का मूल रैयती स्वत्व का नामांतरण की स्वीकृति दी जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, मधुपुर को भेजें। **लेखापित एवं शुद्धित** 19/10/2020 अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर। 19/10/2020 अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर।	ज्ञापांक 2196 दिनांक 3.4.21

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2021.11.29 14:26:36 +05:30
Location: 192.168.1.209